प्रकरण संख्या 38/2024 खेमा व अन्य बनाम पराक्रमसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 से 5 एक ही परिवार के होकर मूल पुरूष रूपा जी थी, जिनका सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। रूपा के दो पुत्र माना व धनजी हुए। माना के दो पुत्र पदमा व वाला हुए। पदमा के कोई पुत्र संतान नहीं होने से अपने छोटे भाई वाला के दो पुत्र तेजी व अमरा में से तेजी को गोद लिया। तेजी का निधन भी आज से करीब 40–42 वर्ष पूर्व हो चुका है। तेजी के दो औरते वरजू व मोती थी, दोनों का निधन तेजी के जीवनकाल में ही हो गया था। तेजी की पहली औरत के तीन पुत्रियां वेलु, पदु व नवली हुई। वेलू का भी निधन हो चुका है, जिसकी दो पुत्री दलु व राजू तथा पुत्र मोगा हुए। मोगा की मृत्यु हो चुकी है, जिसका पुत्र नरेश है तथा दूसरी पत्नी मोती की दो पुत्री लाली व खेमी हुई। इस प्रकार तेजी के वारिस वादी संख्या 5 से 8 व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 हैं, इसके अलावा तेजी के अन्य कोई वारिस नहीं है। इसी प्रकार स्वर्गीय वाला के छोटे पुत्र अमरा के दो पुत्र खेमा व नंगा हुए, जो वादी संख्या 1 व 2 हैं। मूल पुरूष रूपा जी के छोटे पुत्र धनजी का पुत्र रूपा हुआ एवं रूपा का पुत्र हीरा हुआ तथा हीरा के तीन पुत्र भीमा, कचरा व खेमा हुए। भीमा की मृत्यु हो चुकी है, जिसका पुत्र लाला प्रतिवादी संख्या 5 है तथा कचरा व खेमा वादी संख्या 3 व 4 हैं। मौजा अमरापुरा जागीर तहसील सराडा में बिलानाम साबिक आराजी नंबर 43/2 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा भूमि तेजी पिता पदमा, अमरा पिता वाला एवं रूपा पिता धनजी के खातेदारी की आराजी नंबर 202, 203 एवं साबिक आराजी नंबर 207 के चारों तरफ स्थित थी, जो मेवाड़ राज्य की प्रथम पैमाईश संवत् 2002 में खाते चढ़ी थी। साबिक आराजी नंबर 202 व 203 की 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि के पास	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:23 IST
Reason: SelfAttested

बिलानाम भूमि थी, जिस पर स्वर्गीय तेजा, वाला व रूपा काश्त के लिए राज से लेना चाहते थे इसलिए गांव अमरपुरा के तत्कालीन नम्बरदार स्वर्गीय वाला पटेल को साथ लेकर स्वर्गीय वाला व तेजी दोनों पिता पुत्र तहसील सराड़ा गये तथा वाला के चचेरे भाई रूपा को घर पर छोड़ गये। तहसीलदार ने साबिक आराजी नंबर 43/2 आबाद करने की शर्त पर शिकमी काश्त पर दी तथा उस वक्त 10 रूपये राजकोष में तेजी, वाला व रूपा ने जमा कराये थे। उपरोक्त भूमि की शिकमी वाला, तेजी व रूपा ने ली थी तथा तीनों ने खून पसीना बहाकर भूमि को आबाद किया, किन्तु उक्त भूमि कर्ता खानदान स्वर्गीय तेजी के अकेले के नाम संवत् 2017 में चढ़ गयी, परन्तु उक्त भूमि में तेजी का 1/3 हिस्सा, वाला का 1/3 हिस्सा एवं रूपा का 1/3 हिस्सा था। साबिक आराजी नंबर 43/2 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा के हाल आराजी नंबर 239 व 240 किता 2 रकबा 3.08 हैक्टर बने। तेजी के निधन के बाद हाल पैमाईश में विरासत का नामान्तकरण चुपचाप प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, तेजी के बेटी स्वर्गीय सलुबाई के वारिस वादी संख्या 5 से 8 का नाम स्वीकृत नहीं करवाया। वादग्रस्त भूमि पर तेजी की पॉच बेटियों का बराबर हिस्सा है, परन्तु कब्जा काश्त नहीं था। कब्जा काश्त वादी संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या 5 का चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अवैध खाते के आधार पर दिनांक 17.09.2020 को 29,01,000/– में प्रतिवादी संख्या 1 जो अजनवी क्रेता है, उसको बिना कब्जे के विक्रय कर दिया है, क्योंकि उक्त भूमि में वादी का भी हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 काफी प्रभावशाली व्यक्ति होने से जबरन कब्जा करने की धमकी देता है, जबकि वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अतः विपक्षी संख्या 1 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित आराजियात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, न ही उक्त भूमि कभी संयुक्त खातेदारी की रही है। उपरोक्त भूमि वाला पिता माना व रूपा पिता धन्ना को कभी भी आवंटित नहीं हुई, बल्कि स्वर्गीय तेजी को ही आवंटित हुई है तथा वादी संख्या 8 लाली तेजी की पुत्री नहीं है, बल्कि नाते लाई श्रीमती मोती बाई के साथ आयी थी, जिसकी विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिसमें दखलन्दाजी करने का किसी को अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19.09.2024 से प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 01.10.2024 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किये बिना व अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को देखे बिना ही निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पोन्डेन्ट के कथनानुसार ही लाली को तेजी की पुत्री नहीं मानने में भारी भूल की है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा केवल कागजों में भूमि क्रय की गयी है, कब्जा कभी प्राप्त नहीं किया है, अपीलान्टगण आज भी मौके पर काबिज हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट/प्राथीगण के पक्ष में होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:23 IST
Reason: SelfAttested

के कथनों के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। हाल जमाबन्दी में विवादित आराजी नंबर 239 व 240 किता 2 रकबा 3.0800 हैक्टर भूमि खेमी पुत्री तेजी, नवली पुत्री तेजी व पदु पुत्री तेजी के नाम 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड है तथा इन रेकार्डेड खातेदारों द्वारा उक्त आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया जाना जाकर कब्जा सिपुर्द किया जाना प्रस्तुत विक्रय रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 17.09.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है। विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सद्भावी क्रेता होकर उसके द्वारा रेकार्डेड खातेदार से भूमि क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 37/2020 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:23 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:23 IST
Reason: SelfAttested